अध्याय-III

परिवहन विभाग

3.1 कर प्रशासन

मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां, जो कि केंद्रीय और राज्य मोटर वाहन अधिनियमों और इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय है, सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) द्वारा प्रशासित की जाती है। परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (विभाग) के प्रमुख है तथा इनकी सहायता छः अतिरिक्त परिवहन आयुक्तों, चार उप परिवहन आयुक्तों और पांच संयुक्त परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है। सम्पूर्ण राज्य को 13 क्षेत्रों[1] में विभाजित किया गया है, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) करते हैं, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पदेन सचिव हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य में 58 परिवहन जिले[2] हैं जिनके क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी प्रमुख हैं, दिसम्बर 2022 तक इनमें कुल 1.82 करोड़ वाहन पंजीकृत थे। परिवहन विभाग में लेखापरीक्षा के योग्य 58 इकाइयाँ थी। इनमें से 21 इकाइयों को नमूना जाँच के लिए चुना गया, जिनमें 1.40 करोड़ वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 68,122 वाहनों को नमूना जाँच के लिए चयनित किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान कर की अवसूली/कम वसूली, शास्ति, ब्याज और कम्पाउंडिग शुल्क के कम भुगतान, कर के अनिर्धारण/कम निर्धारण, मोटर वाहन कर की संगणना इत्यादि से संबंधित ₹ 32.89 करोड़ की अनियमितताओ से जुड़े कुल 7,007 मामले देखे गए। इसी प्रकार की कुछ कमियां विगत वर्षों में भी इंगित की गयी थी, लेकिन इस प्रकार की अनियमितताएं न केवल बनी रहीं, बल्कि लेखा-परीक्षा होने तक इनका पता भी नहीं चला। ये मामले उदाहरण मात्र हैं और लेखापरीक्षा द्वारा किए गए नमूना-जांच पर आधारित हैं। मुख्य रूप से पायी गयी अनियमितताएं, **तालिका 3.1** में दी गई निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

---

1 क्षेत्रः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर (प्रथम), जयपुर (द्वितीय), जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर।

2 परिवहन जिलेः आबू रोड, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, बीकानेर, भिवाड़ी, बूंदी, चौमू, चूरू, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, धौलपुर, दूदू, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, जयपुर (प्रथम), जयपुर (द्वितीय), करौली, कोटा, केकड़ी, खेतड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, पीपाड़ सिटी, पोकरण, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर, शाहपुरा (भीलवाड़ा), शाहपुरा (जयपुर), सिरोही, सीकर, सलूम्बर, सुमेरपुर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़, टोंक और उदयपुर।

तालिका 3.1: **वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित राशि का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज और कम्पाउंडिग शुल्क इत्यादि की अवसूली/कम वसूली	6,588	32.62
2.	व्यय से संबंधित अनियमितताएँ	257	0.27
3.	अन्य अनियमितताएँ	162	-
कुल		**7,007**	**32.89**

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने 9,648 मामलों में ₹ 56.77 करोड़ के कर की अवसूली/कम वसूली, शास्ति, ब्याज और अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 29.87 करोड़ से जुड़े 6,550 मामले वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में और शेष पिछले वर्षों के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2022-23 के दौरान 2,156 मामलों में ₹ 4.93 करोड़ की वसूली की गई, जिनमें से 503 मामलों में ₹ 1.99 करोड़ की वसूली 2022-23 में और शेष पिछले वर्षों में इंगित किये गए थे।

प्रतिवेदन में ₹ 36.37 करोड़ की राशि के उदाहरणात्मक प्रकरण शामिल किए गए हैं, जो कि नीचे दिए गए है:

3.3 मोटर वाहनों पर कर की अवसूली

वाहन स्वामियों द्वारा 1,677 वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राशि ₹12.10 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं की

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 की धारा 4 और 4 बी, तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, सभी परिवहन वाहनों जिन्हें राज्य में उपयोग किया जा रहा था या उपयोग हेतु रखे गए थे, पर मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है। देय कर पर अधिभार भी लगाया जाता है। यह कर वार्षिक रुप से देय होता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय था और इसे अगले वर्ष 31 मार्च तक जमा करना होता है। इसके अलावा, कराधान अधिकारी को राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम,1951, के नियम 8 और 33 के तहत कर की वसूली के लिए नोटिस देने और धारा 13 ए के तहत भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से देय कर या जुर्माना वसूल करने का अधिकार था।

वर्ष 2022-23 के दौरान 21 परिवहन कार्यालयों की नमूना जाँच की गई, जिसमें से 19 परिवहन कार्यालयों[3] में मोटर वाहन कर की वसूली के संबंध में महत्वपूर्ण अनियमितताएं पाई गईं। इन

[3] आरटीओः अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर, उदयपुर।
डीटीओः ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, पीवी-द्वितीय जयपुर, राजसमंद, श्रीगंगानगर।

कार्यालयों में कुल 4.66 लाख वाहन (परिवर्तित भार वाहन, भार वाहन, संविदा यात्री वाहन तथा स्टेज कैरिज यात्री वाहन) पंजीकृत थे, जिनमें से 14,872 वाहनों की नमूना जाँच की गई। इन कार्यालयों के 2016-17 से 2021-22 अवधि के लिए पंजीयन अभिलेखों, कर खातों, सामान्य सूची पंजिकाओं एवं वाहन एप्लीकेशन[4] की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 1,677 वाहनों के मालिकों द्वारा देय कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों मे इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया जो सिद्ध करते हो कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे, अन्य जिलों/राज्यों को स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित कर दिए गए थे। तथापि कराधान अधिकारियों द्वारा देय कर की वसूली के कोई प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹12.10 करोड़ के कर एवं अधिभार की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.2: कर की अवसूली का विवरण

क्रम संख्या	वाहनों की श्रेणी	नमूना जाँच किए गए वाहनों की संख्या	आक्षेपित वाहनों की संख्या	राशि (करोड़ मे)	कार्यालयों के नाम जहां अनियमितताएं पाई गई
1.	परिवर्तित भार वाहन[5]	5,135	421	2.17	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयः अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर और उदयपुर जिला परिवहन कार्यालयः ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, चूरू, झुंझुनूं, राजसमंद और श्रीगंगानगर
2.	भार वाहन[6]	8,561	909	4.38	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयः अजमेर, अलवर, बीकानेर, पाली और सीकर जिला परिवहन कार्यालयः ब्यावर, भीनमाल, भीलवाड़ा, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद और श्रीगंगानगर
3.	संविदा यात्री वाहन (अखिल भारतीय परमिट)[7]	469	145	3.51	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर जिला परिवहन अधिकारीः ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, चूरू, झुंझुनू, पीवी-II जयपुर और श्रीगंगानगर
4.	स्टेज कैरिज यात्री वाहन[8]	707	202	2.04	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः बीकानेर, जोधपुर, कोटा और सीकर जिला परिवहन अधिकारीः चूरू, झुंझुनू, नागौर, पीवी-द्वितीय जयपुर और राजसमन्द
योग		**14,872**	**1,677**	**12.10**	

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित

[4] विभागीय वेब-आधारित एप्लिकेशन वाहन से संबंधित गतिविधियों जैसे पंजीकरण, फिटनेस, कर, परमिट और प्रवर्तन की देखभाल करता है।

[5] "परिवर्तित भार वाहन" का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जिससे एक अर्ध-ट्रेलर जुड़ा हो।

[6] "भार वाहन" का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जिसे विशेष रूप से केवल माल ढोने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया हो।

[7] "संविदा यात्री वाहन" का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जो किराए या पारिश्रमिक के आधार पर यात्री या यात्रियों को ले जाता है और जो अनुबंध के तहत संलग्न होता है।

[8] "स्टेज कैरेज यात्री वाहन" का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जिसे छः से अधिक यात्रियों (ड्राइवर को छोड़कर) को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया हो।

इन प्रकरणों को इंगित (मई 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य) किये जाने के बाद, सरकार ने उत्तर दिया (जून 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य) कि 17 क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालयों से सम्बन्धित 276 वाहनों से ₹1.68 करोड़ की राशि की वसूली कर ली गई थी। आगे की प्रगति अपेक्षित है (अगस्त 2024 तक)। शेष क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

3.4 पोर्टेबल वेइंग मशीनों की खरीद पर ₹ 21.26 करोड़ का निष्फल व्यय

परिवहन विभाग द्वारा 179 पोर्टेबल वेइंग मशीनों पर ₹21.26 करोड़ का निष्फल व्यय किया, क्योंकि कमजोर निगरानी और समन्वय के कारण इन मशीनों को वाहन सॉफ़्टवेयर से एकीकृत (इंटीग्रेट) नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ये मशीनें अनुपयोगी हो गईं

परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार ने फरवरी 2021 में वित्त विभाग को पोर्टेबल वेइंग मशीनों (पीडब्ल्यूएम) की खरीद के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन पीडब्ल्यूएम का उद्देश्य वाहनों के अधिक भार (ओवरलोडिंग) पर नियंत्रण करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को लागू करने के लिए विभाग के 'उड़न दस्तों' को सुसज्जित करना था। विभाग ने ओवरलोडिंग को एक सुरक्षा संबंधी चिंता के रूप में बताते हुए अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया कि ओवरलोडिंग सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचाती है और प्रदूषण को बढ़ाती है। विभाग ने अपने प्रस्ताव में बताया कि सड़कों पर वज़न तौलने वाले यंत्रों की कमी और ओवरलोडेड वाहनों को दूर स्थित वेइंग सेंटर तक ले जाने की असुविधा को देखते हुए, पीडब्ल्यूएम (पोर्टेबल वेट मशीनें) मौके पर ही वजन जांच और स्वतः चालान जनरेट करने की सुविधा प्रदान करेंगी । विभाग ने यह भी बताया कि उपकरणों की खरीद स्व-वित्तपोषित होगी, और अधिक भार वाले वाहनों से बढ़े हुए जुर्मानों के माध्यम से एक वर्ष के भीतर लागत की भरपाई कर ली जाएगी, विभाग ने ₹ 43.20 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का अनुमान भी लगाया था।

परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और तकनीकी पहलुओं के समन्वय हेतु परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में एक परियोजना प्रबंधन इकाई[9] (पीएमयू) के गठन का भी प्रस्ताव दिया।

मई 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा 179 पीडब्ल्यूएम की खरीद के लिए ₹27.00 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गयी थी। कार्यक्षेत्र के अनुसार, इन मशीनों को परिवहन विभाग के *ई-चालान पोर्टल/वाहन*[10] के साथ एकीकृत किया जाना था। आपूर्तिकर्ता को एपीआई[11] एकीकरण, सॉफ़्टवेयर, तथा तकनीकी सहायता प्रदान करनी थी। पोर्टेबल वेईग मशीनों का *वाहन*

[9] पीएमयू में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, वित्तीय सलाहकार, एनआईसी से तकनीकी निदेशक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सिस्टम विश्लेषक अन्य सदस्य थे।

[10] यह एक लचीली और व्यापक प्रणाली है जो वाहन पंजीकरण, फिटनेस, कर, परमिट और प्रवर्तन की गतिविधियों की देखभाल करती है।

[11] एपीआई : एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।

एवं *ई-चालान पोर्टल*/पीओएस डिवाइसों[12] के साथ एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सॉफ़्टवेयर अनुकूलन किया जाना अपेक्षित था, ताकि ई-चालान स्वतः ही जारी हो सकें।

विभाग ने पीडब्लूएम की आपूर्ति हेतु अगस्त 2021 में निविदाएँ आमंत्रित की थीं, और चार फर्मों ने निविदा में भाग लिया। न्यूनतम बोलीदाता होने के कारण, एक संवेदक को दिसंबर 2021 में 179 पीडब्लूएम की आपूर्ति हेतु राशि ₹ 26.72 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश के अनुसार, पीडब्लूएम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग, पीओएस डिवाइसेज़ के साथ एकीकरण, तीन वर्षों की वारंटी, तथा अनुरक्षण एवं तकनीकी सहायता हेतु सेवा अभियंताओं के नियोजन से संबंधित सभी लागतों का मूल्य इस राशि में सम्मिलित था। पीडब्लूएम के एकीकरण के कार्य की मुख्य जिम्मेदारी संवेदक की थी। परिवहन विभाग में नियुक्त राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों को एकीकरण हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करनी थी। भुगतान की शर्तों के अनुसार, 80 प्रतिशत राशि का भुगतान पीडब्लूएम की आपूर्ति, प्रशिक्षण एवं सॉफ़्टवेयर एकीकरण के पश्चात किया जाना था, शेष 15 प्रतिशत राशि का भुगतान तीन माह के संतोषप्रद कार्य के पश्चात् तथा अंतिम पांच प्रतिशत राशि का भुगतान अनुबंध की समाप्ति पर किया जाना था।

संवेदक द्वारा पीडब्ल्यूएम मशीनों की आपूर्ति दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के मध्य की गई थीं और विभाग ने कार्य आदेश राशि का 80 प्रतिशत, अर्थात ₹ 21.26 करोड़ (जनवरी और मार्च 2022 में) का भुगतान किया था। तथापि, दिसंबर 2022 में परिवहन आयुक्त कार्यालय में अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि न तो ये मशीनें पीओएस और *वाहन 4.0* सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत की गई थीं और न ही क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मशीनों के उपयोग के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं[13] का समाधान किया गया था।

इन समस्याओं के समाधान के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की एक बैठक आयोजित (दिसंबर 2022) की गई, जिसमें संवेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि मशीनों को एकीकृत करने के लिए प्रत्येक पोर्टेबल मशीन (पीडब्ल्यूएम) में एक हार्डवेयर डिवाइस (आईओएल) लगाया जाएगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के निदेशक द्वारा बताया गया कि हार्डवेयर डिवाइस को लगाने के बाद ही आगे का एकीकरण कार्य किया जा सकता है। तथापि, विभाग पीडब्ल्यूएम के एकीकरण को सुनिश्चित करने में असफल रहा और विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा (मई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य) पोर्टेबल वेट मशीनों में गंभीर तकनीकी समस्याएं बताई गई, जिनके कारण उड़न दस्तों द्वारा इन मशीनों का उपयोग किया जाना अव्यवहारिक हो गया, बल्कि जुर्माना राशि संग्रहण से होने वाली राजस्व आय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

इस आक्षेप को वर्ष 2023-24 में नौ क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालयों[14] की लेखापरीक्षा के दौरान भी सत्यापित किया गया, जिसमें पाया गया कि इन परिवहन कार्यालयों को 15 पोर्टेबल वेइंग

---

[12] पीओएस मशीनः पॉइंट ऑफ सेल मशीन।

[13] वाहन भार रीडिंग में अंतर, मशीन पैड्स, मदरबोर्ड्स और इंडिकेटर्स में खराबी, प्रिंटिंग की समस्याएं, चार्जर खराब होना, और सेवा इंजीनियरों की अनुपस्थिति।

[14] डीटीओः केकड़ी, जालौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फलोदी, झालावाड़, बूंदी और चौमू।

मशीन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन संवेदक द्वारा मशीनों को *वाहन 4.0* सॉफ़्टवेयर से एकीकरण न किये जाने और विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण उड़न दस्तों द्वारा *ई-चालान* बनाने के लिए इन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सका। समस्याओं का निर्धारित समय में समाधान नहीं किए जाने के कारण (जून 2023 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान) विभाग, संवेदक से ₹3.01 करोड़ की जुर्माना राशि वसूलने में भी असफल रहा।

इस प्रकार, संवेदक द्वारा पोर्टेबल वेइंग मशीनों को *वाहन 4.0* सॉफ़्टवेयर और पीओएस मशीनों के साथ एकीकृत नहीं किये जाने के कारण ₹21.26 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया। परिवहन विभाग द्वारा निगरानी नहीं किये जाने और समन्वय नहीं होने के कारण पोर्टेबल वेइंग मशीनों का उपयोग नहीं हो सका जिससे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। यह विफलता सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए जोखिम बनी रही। इसके अलावा, विभाग द्वारा संवेदक से ₹3.01 करोड़ की जुर्माना राशि[15] की वसूली नहीं किये जाने से राज्य को हुए वित्तीय नुकसान को और बढ़ा दिया।

मामला विभाग को बताया गया (सितंबर 2024), सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि संवेदक को पोर्टेबल वेइंग मशीनों को *वाहन* सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत करने के लिए कई पत्र भेजे गए थे। तथापि, संवेदक ने इसका पालन नहीं किया। वित्तीय सलाहकार ने भी इस निरर्थक व्यय पर चिंता जताई और संवेदक से राशि की वसूली की सिफारिश की। बैंक गारंटी को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है। (फरवरी 2025)

[15] आरएफपी की शर्तों के अनुसार, यदि कोई शिकायत 48 घंटे के भीतर हल नहीं होती है तो ₹600 प्रति दिन, प्रति शिकायत और 72 घंटे के भीतर हल नहीं होने पर ₹1,500 प्रति दिन, प्रति शिकायत का जुर्माना संवेदक से वसूला जाना था।